

न. व तारी
अहकाम
इस हुक्म
तामील में
जारी है

सोहनलाल पंवार बनाम लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार, लूणी)

तारीख हुक्म

सू.अ.अपील संख्या 267 / 2022

30.09.22

अपीलार्थी सोहनलाल पंवार निवासी गांव धींगाणा, पोस्ट गुडा विश्नोइयान, तहसील लूणी, जिला जोधपुर ने सूचना का अधिकार के तहत उसके द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 20.06.2022 में उसके द्वारा (1) पटवार हलका खाराबेरा पुरोहितान के राजस्व ग्राम धींगाणा एवं पाबूपुरा कुम्हारान के कृषकों को खरीफ फसल 2021 के खराबे के अनुदान स्वरूप वितरित राशि की सूची (2) अन्य बिन्दुओं से संबंधित सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार, लूणी) को प्रेषित किया गया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना नहीं दी गई, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई।

अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पों. पक्ष (तहसीलदार, लूणी) से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। रेस्पों. पक्ष (तहसीलदार, लूणी) से आदिनांक तक तथ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई। अतः अपील स्वीकार की जाती है तथा लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार, लूणी) को निर्देशित किया जाता है कि प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना 15 दिवस के भीतर उपलब्ध करावे, अन्यथा नहीं दिये जाने के कारणों से प्रार्थी को अवगत कराया जावे। आदेश की प्रति संबंधित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित हो। आदेश सुनाया गया।